जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 117 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 1 मार्च, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

'उत्तर भारत में कई भाषाएँ हैं, जो अब लुप्त सी हो गई हैं'

स्टालिन, तमिलनाडु के मु.मंत्री ने नई शिक्षा नीति के विरोध में नया तर्क दिया कि हिन्दी, तमिल को भी अपने में समावेश कर लेगी तथा तमिल मृत प्रायः हो जायेगी

- अब तक यह माना जा रहा था कि भाषा का मुद्दा खत्म सा, बेअसर हो गया है तमिलनाडु में। पर, जिस तरीके से स्टालिन ने नई शिक्षा नीति के संदर्भ में इसे पेश किया है, वह पुनः जागृत सा हो गया है।
- राज्यपाल आर.एन. रवि के इस विवाद में कूद पड़ने से अब यह मुद्दा पुनः जीवित हो गया है कि उत्तर भारत, दक्षिण पर हिन्दी लादना चाहता है, तमिलनाडु को मारने के लिये।
- स्टालिन सरकार के ओर से राज्य के विधि मंत्री, एस. रघुपति ने भी राज्यपाल के रवैये के खिलाफ तीखा वक्तव्य दिया कि डी.एम.के. सरकार का दो भाषा फार्मूला ज्यादा सफल हुआ है, क्योंकि, तमिलनाडु ने भारी प्रगति की, शिक्षा, मैडिसन तथा इकॉनमी के क्षेत्र में, दो भाषा वाले फार्मूला के कारण।
- राज्यपाल ने इस तर्क के जवाब में कहा कि तीन भाषा फार्मूला के अंतर्गत प्रदेश के यूथ में हिन्दी पढ़ने का भी मौका मिलता है और "यूथ" राष्ट्रीय स्तर पर, नौकरी पा सकता है। दो भाषा फार्मूला के कारण युवाओं को दक्षिण भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषा पढ़ने का मौका भी नहीं मिलता। उनका "जॉब मार्केट" सिकुड़ता जा रहा है।
- बहरहाल अब यह विवाद और फैलता जा रहा है, तमिलनाडु की सरकार व केन्द्रीय सरकार के बीच और तमिलनाडु का युवा इस लड़ाई में फंसकर दिशा भ्रम की स्थिति में है।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। तमिलनाडु में दक्षिणपंथी इकोसिस्टम हिंदी के मुद्दे पर वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा है, जैसी द्रमुक चाहती है और इससे पार्टी को इस भावनात्मक मुद्दे को ज्वलंत बनाए रखने और विधानसभा चुनावों से पहले इसे उछालने में मदद मिल रही है।

जहाँ भाजपा व संघ के लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रमोट करने के पक्ष में दलील दे रहे हैं, वहीं इसके विपरीत, द्रमुक और तमिलनाडु सरकार के लोग इसे हिंदी थोपने के रुप में देख रहे हैं और इसके खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं और इसे भावनात्मक मुद्दे का रुप दे रहे हैं। हालांकि ऐसे लोग हैं, जो मानते हैं कि भाषा का मुद्दा अपनी प्रासंगकिता खो चुका है, पर जब यह कहा जाए कि दिल्ली की एक हिन्दी पार्टी "तमिल" भाषा की हत्या कर देगी तो यह मुद्दा आम जनता को अपील करता है।

और तमिनलाडु के मुख्यमंत्री तथा द्रमुक के चीफ एम.के. स्टालिन बिल्कुल यही कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी थोपने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। अपनी बात समझाते हुए वे कहते हैं कि उत्तर भारत की कई भाषाएं मर रही हैं, आज उन्हें कोई भी नहीं बोल रहा, इसका कारण सिर्फ हिंदी है। हिंदी हर भाषा के लिए यही खतरा पैदा कर देती है, इसलिए उनकी सरकार व राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध कर रहा है, जिसमें हिंदी पढ़ना अनिवार्य किया गया है।

अब इस विवाद में राज्य के राज्यपाल भी कूद पड़े हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जोरदार वकालत की। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के दो भाषा के फार्मूले ने राज्य के युवा को कई अवसरों से वंचित कर दिया है। एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में मानव सम्पदा व प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। पर वह काफी उपेक्षित महसूस करता है, यह सही नहीं है।"

उन्होंने आगे लिखा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने महँगाई भत्ते के आधार पर ग्रेच्युटी की गणना पर जवाब मांगा

जयपुर, 28 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी की गणना महंगाई भत्ते से करने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव और पेंशन निदेशक से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश श्रीधर शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- हाई कोर्ट ने ग्रेच्युटी की गणना महँगाई भत्ते से करने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई की और केन्द्र सरकार, राज्य के मुख्य सचिव, वित्त सचिव व पेंशन निदेशक से जवाब माँगा।

याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता हनुमान चौधरी और अधिवक्ता तरुण चौधरी ने अदालत को बताया कि 7वें वेतन आयोग के जरिए सेवानिवृत्त और मृत कर्मचारी को मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि को दस साल से बढ़ाकर बीस लाख किया था। केन्द्र सरकार ने 30 मई, 2024 को एक कार्यालय आदेश जारी कर महंगाई भत्ता मूल वेतन का पचास फीसदी होने पर कर्मचारी की ग्रेच्युटी की राशि को बढाकर 25 लाख रुपए कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता पूर्व में ही रिटायर हो चुके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

उत्तराखंड के चमोली में भारी एवलांच में 57 मजदूर दबे, 32 को बचाया

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइज़ेशन के कैम्प के पास ग्लेशियर फटने से यह हादसा हुआ है

- सूत्रों ने बताया, जिस इलाके में एवलांच (हिमस्खलन) हुआ है, वहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा सड़क निर्माण करवाया जा रहा था।
- प्रशासन मौके पर राहत व बचाव कार्य में जुटा है। 57 में से 32 मजदूरों को बचा लिया गया है, शेष को बचाने के प्रयास चल रहे हैं। पर, भारी बर्फबारी के कारण राहत व बचाव कार्य में परेशानी आ रही है।
- जहाँ हादसा हुआ है, वहाँ सैटलाइट फोन भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए समुचित जानकारी नहीं मिल पा रही है।

चमोली, 28 फरवरी। उत्तराखंड के चमोली में शुक्रवार सुबह 7.15 बजे एवलांच (हिमस्खलन) हुआ, जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गनाइज़ेशन (बीआरओ) के 57 मजदूर दब गए। जिस इलाके में हिमस्खलन हुआ, वहां सड़क निर्माण का काम चल रहा था। चमोली के माणा स्थित बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के कैंप के पास ग्लेशियर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ। 57 में से 32 मजदूरों को बचा लिया गया है। मौके पर राहत और बचाव दल लगातार काम में जुटा हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी आ रही है।

3200 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर 6 फीट जमी बर्फ के बीच बाकी के 25 मजदूरों की तलाश जारी है। यह घटना बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर चमोली के माणा गांव में हुई है। हादसे के दौरान सभी मजदूर 8 कंटेनर और एक शेड में मौजूद थे।

रेस्क्यू किए गए सभी मजदूरों को माणा गांव में आईटीबीपी कैंप लाया गया है। यहां उनका इलाज चल रहा है। इनमें से चार लोगों की हालत गंभीर है। फिलहाल खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। पूरे इलाके में तेज बर्फबारी हो रही है।

चमोली के जिलाधीश संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम खराब होने की वजह से कुछ समय तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया था। इलाके में लगातार बर्फबारी हो रही है। इस वजह से हेलीकॉप्टर वहां नहीं जा सकता है। जहां पर ग्लेशियर फटा है, वह ऐसा इलाका है, जो नो नेटवर्क ज़ोन है। सेटेलाइट फोन भी वहां पर काम नहीं कर रहे हैं। हादसे का शिकार हुई टीम के साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारी कोशिश है कि सभी को रेस्क्यू किया जा सके। अब तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भगवान बदरी विशाल से सभी श्रमिक भाइयों के सुरक्षित होने की प्रार्थना करता हूं।

मौसम विभाग ने 28 फरवरी की देर रात तक उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 20 सेमी तक बारिश हो सकती है।

घटना की सूचना मिलते ही, भारतीय सेना ने त्वरित बचाव दल को तुरंत सक्रिय किया। आइबेक्स ब्रिगेड के 100 से अधिक जवानों, चिकित्सकों, एंबुलेंस और भारी मशीनरी के साथ राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। लगभग 11:50 बजे तक बचाव दल ने पांच कंटेनरों का पता लगा लिया और 10 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शेष तीन कंटेनरों में फंसे लोगों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अनुसूचित जाति आयोग में महत्वपूर्ण पद क्यों रिक्त हैं?'

राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा, ये रिक्त पद सरकार की एससी वर्ग के प्रति संवेदनहीनता की मनःस्थिति का प्रमाण हैं

- राहुल गांधी के एक्स पर प्रसारित मैसेज में यह भी लिखा है कि, अनुसूचित वर्ग अपनी मजबूरियां व अन्याय की लड़ाई आयोग के समक्ष प्रस्तुत करता है, क्योंकि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, पर, अगर आयोग का गठन ही नहीं हो पाया तो अपनी गुहार लेकर कहाँ जायें।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज सरकार की घोर निंदा करते हुये कहा कि नैशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स में प्रमुख पद खाली पड़े हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया कि ये पद जल्दी भरे जायें ताकि यह आयोग दलितों के अधिकारों एवं हितों के संरक्षण के दायित्व को प्रभावी तरीके से पूरा कर सके।

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आयोग में इन पदों का खाली होना मोदी सरकार की "दलित-विरोधी सोच" को दर्शा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है तथा इसे कमज़ोर करना दलितों के संवैधानिक तथा सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। "एक्स" पर हिन्दी में की गई एक पोस्ट में गांधी ने कहा, "भाजपा सरकार की दलित-विरोधी सोच का एक और प्रमाण देखिये! नैशनल कमीशन फॉर शिड्यूल्ड कास्ट्स, जो दलितों के अधिकारों की रक्षा करता है, की जानबूझ कर उपेक्षा की जा रही है, इसके दो अति महत्वपूर्ण पद पिछले एक साल से खाली पड़े हैं।"

उन्होंने कहा, "यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है- इसे कमज़ोर करना दलितों के संवैधानिक एवं सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अगर आयोग नहीं होगा, तो सरकार में दलितों की आवाज कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्यवाही कौन करेगा?"

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा, "प्रधानमंत्री जी, आयोग के सभी यथाशीघ्र पद भरे जाने चाहिये, जिससे यह दलितों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने के अपने दायित्व को प्रभावी तरीके से पूरा कर सके।"

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'नकद मानदेय मिलने के बाद भी बोनस अंक का हक है'

जयपुर, 28 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 के मामले में कहा है कि यदि संविदा पर काम के बदले अभ्यर्थी को नकद मानदेय मिला है तो भी वह अनुभव के तौर पर बोनस अंक लेने का हकदार है। इसके साथ ही, अदालत ने संबंधित सीएमएचओ को कहा है कि वे

- हाई कोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 के मामले में तौशीब अंसारी की याचिका पर सरकार को यह निर्देश दिया और भर्ती पर विचार करने के लिए कहा।

याचिकाकर्ता के अनुभव की जांच व सत्यापित कर उसकी नियुक्ति पर विचार करें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश तौशीब अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता प्रदीप सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चुनाव के लिए "डीलिमिटेशन" केवल जनसंख्या के आधार पर हुआ तो हम स्वीकार नहीं करेंगे'

स्टालिन ने केन्द्रीय सरकार को संबोधित करते हुए कहा कि केवल जनसंख्या को आधार बनाना, दक्षिण भारत के राज्यों को, परिवार नियोजन कड़ाई से लागू करने के प्रयास के लिये दंड देना होगा

- स्टालिन ने यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार इस बात का तो वादा करती है कि दक्षिण भारत के राज्यों की संसदीय सीटें कम नहीं होगी। पर, इस बात का विश्वास नहीं दे पाती कि उत्तर भारत की संसदीय सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होगी।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 फरवरी। लोकसभा क्षेत्र परिसीमन को लेकर केन्द्र और दक्षिणी राज्यों के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं तथा इससे संघीय संबंध खराब होने की नौबत आ सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मोदी सरकार से अपील की है कि केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण करके दक्षिणी राज्यों को "दण्डित" न किया जाये। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी किसी भी कोशिश का विरोध किया जायेगा।

स्टालिन ने कहा कि संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद के जरिये अगर राज्य के प्रति अन्याय किया गया तो तमिलनाडु के लोग तथा उनकी पार्टी, द्रमुक उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

स्टालिन, जो द्रमुक अध्यक्ष भी हैं, ने एक वीडियो मैसेज में कहा, "हमारी माँग बिल्कुल स्पष्ट है- केवल जनसंख्या के आधार पर संसदीय क्षेत्रों का निर्धारण मत कीजिये। दक्षिणी राज्यों, जिन्होंने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये जिम्मेदाराना उपाय किये हैं, को दण्ड मत दीजिये।"

उन्होंने अपने 72वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि अगर ऐसा "अन्याय" जबरन किया गया तो तमिलनाडु तथा द्रमुक उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को की गई अपनी अपील में कहा, "हमें यह संकल्प लेना ही होगा कि हम तमिलनाडु के कल्याण तथा प्रत्येक व्यक्ति एवं भविष्य के मामले में कभी समझौता नहीं करेंगे। हमें एकजुट होकर खड़ा होना तथा अपने राज्य के अधिकारों के लिये लड़ना होगा। तमिलनाडु प्रतिरोध करेगा और जीतेगा।"

उन्होंने कहा, "सामान्यतः मैं अपना जन्मदिन भव्य तथा आडम्बरपूर्ण रूप में नहीं मनाता हूँ। लेकिन मेरी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता (इस दिन)

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समरावता कांड में जाँच क्यों लंबित रखी?

जयपुर, 28 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट पर 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद

- राजस्थान हाई कोर्ट ने देवली-उनियारा विधानसभा सीट के उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम को थप्पड़ मारने व ग्रामीणों के खिलाफ कार्यवाही के मसले पर जाँच अधिकारी से पूछा।

समरावता में ग्रामीणों के खिलाफ हुई कार्रवाई की सीबीआई जांच की गुहार के लिए दायर याचिका में जांच

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बजरी माफिया के खिलाफ जाँच में सी.बी.आई. की सुस्ती पर हाई कोर्ट ने नाराज़गी जताई

अदालत ने कहा कि बजरी खनन के खिलाफ गत वर्षों में दर्ज हुई 416 एफ.आई.आर. पर जाँच रिपोर्ट क्यों तैयार नहीं है, इसकी जानकारी दे, सी.बी.आई. डायरेक्टर अगली तारीख पर

- सी.बी.आई. की ओर से कहा गया कि इन मामलों में जाँच करने के लिए उसके पास न तो पर्याप्त "मैन पावर" है और न ही पर्याप्त आधारभूत ढांचा है।

- यादवेन्द्र शर्मा -

जयपुर, 28 फरवरी। प्रदेश में अवैध बजरी खनन पर सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वैस्टिगेशन (सी.बी.आई.) द्वारा प्रारंभिक जांच रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराये जाने पर हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर सी.बी.आई. के डायरेक्टर को वी.सी. (वीडियो कॉन्फ्रेंस) के माध्यम से उपलब्ध होने के आदेश दिए है। अदालत ने कहा है कि सी.बी.आई. डायरेक्टर, जो प्रदेश में अवैध बजरी खनन की जांच के विषय में जानते हैं, वह स्पष्ट शब्दों में बताये कि अदालती आदेशों के बावजूद इस मामले में जांच क्यों नहीं बढ रही है। न्यायाधीश समीर जैन ने यह आदेश जब्बार बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में आपराधिक जांच को लेकर चल रहे मामले सुनवाई करते हुए दिए है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च तय की गई है।

दरअसल इस मामले में वर्ष 2023 में जब्बार व उसके वाहन चालक शाहरूख खान के खिलाफ बूंदी जिले में अवैध रूप से बजरी खनन कर तस्करी व चोरी करने का आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। मामले के तथ्य के अनुसार जब्बार का ड्राईवर अवैध रूप से निकाली गई 40 टन बजरी ले जा रहा था। जब इन दोनों ने अदालत में जमानत के लिए याचिका दायर की, तब अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए, 4 अप्रेल को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रदेश में अवैध बजरी का खनन लम्बे अर्से से चला आ रहा है, और राज्य के खनन विभाग और पुलिस बेपरवाह और निर्लज तरीके से जांच करती है जिससे प्रतीत होता है कि अधिकारी व राज्य सरकार बजरी माफियाओं के साथ मिली हुई है।

अदालत ने यह तक कह दिया कि ऐसे मामलों में राजनैतिक दखलअंदाजी भी देखी जा सकती है क्योंकि पुलिस अफसर ऐसे मामलों केस डायरी में भी हर दिन एंट्री नहीं करते हैं और जांच कछुए की चाल से भी धीरे चलती है जबकि भारी प्रमाण स्पष्ट रूप से मौजूद होते हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बजरी खनन से राज्य सरकार की आय में भारी कटौती होती है परन्तु फिर भी राज्य सरकार बजरी खनन को रोकने के लिए स्वयं द्वारा शुरू की गई मुहिमों को लागू नहीं करती है। सभी तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने 16 अप्रैल,2024, को इस मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपी थी और कहा था कि वह प्राथमिक जांच रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने इस मामले में अधिवक्ता पूनीत सिंघवी को न्यायमित्र भी घोषित किया था।

आज अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान सामने आया कि केवल बनास व चम्बल नदी क्षेत्र में पिछली गहलोत सरकार के दौरान 416 एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। सी.बी.आई. की ओर से कहा गया कि जब्बार व शाहरूख खान के मामले में एक अतिरिक्त चार्ज शीट दायर की है, परन्तु अन्य मामलों में वह जांच इसलिए पूरी नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास पर्याप्त आधारतभूत ढांचा और श्रमशक्ति उपलब्ध नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार से सहयोग नहीं मिला है। जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सी.बी.आई. राज्य सरकार के अधीन कोई जांच एजेंसी नहीं है और हाई कोर्ट से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया था जिससे राज्य सरकार को सी.बी.आई. को जांच अधिकारी सौंपने थे।

अदालत ने सी.बी.आई. की जांच के प्रति रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगली तारीख पर उनके डायरेक्टर सुनवाई के लिए उपलब्ध रहें।

तेलंगाना टनल हादसे में मजदूरों के जिंदा बचने की उम्मीद नगण्य

नागरकुर्नूल, 28 फरवरी। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में निर्माणाधीन श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल

- टनल में अभी भी 8 मजदूर फंसे हुए हैं। राहत कार्य चल रहा है पर हर दिन के साथ उम्मीद कम हो रही है।

(एसएलबीसी) टनल का एक हिस्सा 22 फरवरी को ढ ह गया था। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं। लेकिन टनल में फंसे 8 मजूदरों को अब तक नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू जारी है।

शुक्रवार को साउथ सेंट्रल रेलवे (एससीआर) की 2 टीमें भी रेस्क्यू के लिए पहुंचीं। टीम भारी धातुओं को प्लाज्मा कटर और ब्रॉक कटिंग मशीन जैसे आधुनिक उपकरणों से काटकर रास्ते से हटा रही है।

नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च ?

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)